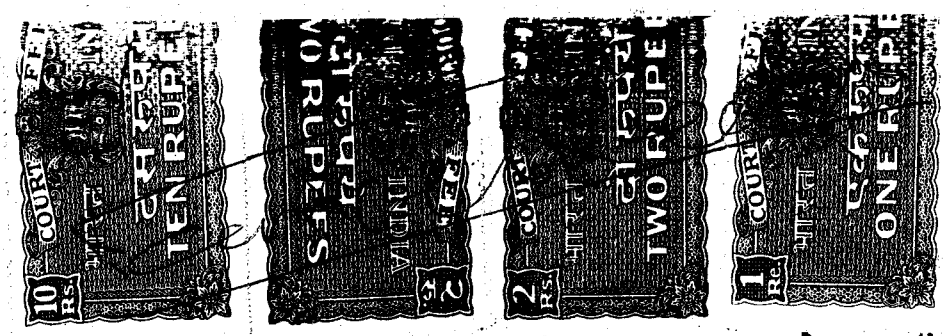

(12)

C-895/51

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ,मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2000-2001 निगरानी

(1) बूंदन पुत्र छधारी अहिर,

(2) राम टहल पुत्र कुरतइया अहिर,

(3) राम खिलावन पुत्र गरुला अहिर,

(4) महिला मुल्यिा विधवा गरुला,

समस्त निवासीगण ग्राम सरायँ,तेहसील रामपुर बघेलान

जिला सतना- म०प्र० ।

------- आवेदकगण

बिरुध्द

रामशिरोमणी पुत्र रामानुज मिश्रा,

निवासी- ग्राम सरायँ, तेहसील रामपुर बघेलान,

जिला सतना- म०प्र० ।

------- अनावेदक

R-271-III/2001

श्री ... द्वारा आज दि० 9/2/2001 को प्रस्तुत ।

मेम्बर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

9 FEB 2001

A.K. Agarwal 9/2/01

निगरानी बिरुध्द आदेश आयुक्त महोदय,रीवाँ, संभाग रीवाँ, के प्रकरण क्रमांक 109/97-98 आदेश दिनांक 17/01/2001 के बिरु. अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता ।

माननीय महोदय,

निगरानी आवेदकगण की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधान के विपरीत तथा फाईन्डिंगस् परव्हर्स होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2- यह कि, अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय श्री अनुविभागीय अधिकारी निरस्त करने में विधि एवं प्रक्रिया में त्रुटि की है ।

3- यह कि, सीमांकन किये जाने के आधार पर जो तेहसीलदार ने दावा अनावेदकगण व्दारा अन्तर्गत धारा 250 भू-राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 271–दो/2001 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–03–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ अभिलेख का अवलोकन किया। इस निगरानी में आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया है तथा ग्राम नक्शे के अभाव में भी सीमांकन किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक कमांक 2 एवं 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जबकि आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक गरूला की मृत्यु हो गई थी। अपर आयुक्त के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने बिना नोटिस तामीली के आवेदक रामटहल एवं गरूला के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। आवेदक गरूला के मृत होने के पश्चात उसके विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश स्वतः ही शून्य माना जाता है। इस कारण अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 17–1–2001 निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक गरूला के विधिक वारिसों एवं उभय पक्ष को विधिवत सूचना देने के उपरांत पुनः गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	